राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकल न्यायाधीश सिविल रिट याचिका संख्या 21006/2017

डॉ. अहमद अली पुत्र श्री समसुरदलिम, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी मोहल्ला मोमनीम, नई मस्जिद के पास, टोडाराय सिंह, जिला-टोंक, राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार को, निदेशक, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से ।
2. उप सचिव, पशुपालन विभाग, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
3. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, बूंदी, राजस्थान।
4. निदेशक, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण निदेशालय, ज्योति नगर, जयपुर, राजस्थान।

----प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री संदीप सिंह शेखावत श्री अक्षय दत्त शर्मा
प्रत्यर्थी की ओर से	:	श्री रोहित चौधरी, डेप्यूटी जीसी ओर से सुश्री प्रियंका पारीक, श्री दीपक मीणा

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड

<u>आदेश</u>

आदेश आरक्षित करने की तारीख	::	15.09.2023
आदेश उच्चारित करने की तारीख	::	26.09.2023

रिपोर्टेबल

1. अपीलार्थी ने निम्नलिखित प्रार्थना के साथ याचिका दायर की है: –

"(1) एक रिट, उचित रिट, आदेश या निर्देश या प्रकृति में उत्तरदाताओं को संयुक्त निदेशक के पद के लिए अपने वेतनमान को संशोधित करने के बाद अपीलार्थी के सभी बकाया को जारी करने और उसकी ग्रेच्युटी, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख अर्थात 30/06/2017 से 18% प्रति वर्ष की प्रचलित ब्याज दर के साथ सभी परिणामी लाभों के साथ कम करने का निर्देश दिया जाए।

(2) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझा जा सकता है, वह भी अपीलार्थी के पक्ष में जारी किया जा सकता है।

<u>अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुतीकरण:</u>

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी उप निदेशक के पद पर काम कर रहा था और पदोन्नति पद अर्थात संयुक्त निदेशक के लिए रिक्तियां अप्रैल, 2017 के महीने में खाली हो गईं और यहां तक कि विभागीय पदोन्नति समिति (संक्षेप में 'डीपीसी') भी प्रत्यर्थियों द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए रिक्ति के खिलाफ आयोजित की गई थी। तदनुसार, अपीलार्थी को दिनांक 15.04.2017 के आदेश के तहत संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया था। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को पदोन्नति पद पर पदोन्नत करते समय, यह देखा गया था कि अपीलार्थी की पदोन्नति की तारीख 01.07.2017 होगी। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पदोन्नति पद पर पदोन्नति प्राप्त करने से पहले, अपीलार्थी 30.06.2017 को उप निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो गया था। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थियों के मनमाने कार्य के कारण, अपीलार्थी पदोन्नति पद का लाभ प्राप्त करने में विफल रहा है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थियों ने अपीलार्थी को उसकी सेवानिवृत्ति से पहले पदोन्नति पद के लाभ नहीं दिए हैं, इसलिए, अपीलार्थी के साथ भेदभाव किया गया है ताकि उसे पदोन्नति पद के लाभ से वंचित किया जा सके। अपनी दलीलों के समर्थन में, अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है:

(I) एम.पी. सिंह बरगोती बनाम मध्य प्रदेश सरकार और अन्य (2014) 15 एससीसी 553 में रिपोर्टित; और

(II) मेजर जनरल एच.एम. सिंह, वीएसएम बनाम भारत संघ और एक अन्य (2014) 3 एससीसी 670 में रिपोर्टित।

3. अधिवक्ता का कहना है कि इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है और प्रत्यर्थियों को सभी परिणामी लाभों के साथ अपीलार्थी को पदोन्नति पद के काल्पनिक लाभ प्रदान करने के लिए उचित निर्देश जारी किए_जाएं।

<u>प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुतीकरण:</u>

4. इसके विपरीत, राज्य प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता ने अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के खिलाफ, 'डीपीसी' आयोजित की गई थी और तदनुसार, अपीलार्थी को 01.07.2017 से संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया था। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 25.04.2017 का आदेश स्पष्ट और विशिष्ट था और यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि चयनित उम्मीदवारों को 01.07.2017 से पदोन्नति का लाभ मिलेगा जब रिक्तियां देय हो जाएंगी। इसलिए, प्रत्यर्थियों ने दिनांक 25.04.2017 के आदेश को पारित करने में कोई अवैधता नहीं की है। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी इस संबंध में कोई राहत पाने का हकदार नहीं है।

<u>विश्लेषण और तर्क:</u>

5. बार में की गई प्रस्तुतियों को सुना और विचार किया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

6. इस याचिका को दायर करने के माध्यम से, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थियों के खिलाफ संयुक्त निदेशक के पद के लिए अपने वेतनमान को संशोधित करने और उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख अर्थात 30.06.2017 से प्रति वर्ष 18% ब्याज के साथ ग्रेच्युटी, पेंशन और सभी सेवानिवृत्ति बकाया देने का निर्देश देने की मांग की है।

7. बेशक, अपीलार्थी 30.06.2017 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद उप निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो गया था। यह तथ्य विवाद में नहीं है कि वर्ष 2017-18 के रिक्त पदों के लिए संयुक्त निदेशक (सामान्य) के रिक्त पदों के विरुद्ध प्रत्यर्थियों द्वारा डीपीसी आयोजित की गई थी और तदनुसार, रिक्ति की तारीख से संयुक्त निदेशक के पद पर 22 उम्मीदवारों को पदोन्नत करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, अपीलार्थी को

01.07.2017 से उप निदेशक के पद से संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत करने का आदेश पारित किया गया था जब संयुक्त निदेशक का पद रिक्त हो गया था। इस संबंध में आदेश 25.04.2017 को पारित किया गया था। लेकिन पदोन्नति का लाभ मिलने से पहले, अपीलार्थी 30.06.2017 को उप निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो गया।

8. अपीलार्थी की शिकायत यह है कि अगर उसे समय पर पदोन्नति दी जा सकती थी, तो उसे अपनी सेवानिवृत्ति से पहले अपने पदोन्नति पद का लाभ मिल सकता था। अपीलार्थी का मामला यह है कि राजस्थान पशुपालन सेवा नियम, 1963 (संक्षेप में, '1963 के नियम') के नियम 9 के अनुसार, प्रत्यर्थियों को 1 अप्रैल को रिक्ति का निर्धारण करना था और 1963 के नियमों के नियम 23 क के अनुसार पदोन्नति के लिए अपीलार्थी के मामले पर विचार करना था। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि डीपीसी दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्यर्थियों को 1 अप्रैल को रिक्तियों का निर्धारण करना था। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 1 अप्रैल को रिक्तियों का निर्धारण नहीं होने के कारण, अपीलार्थी को पदोन्नति पद का लाभ नहीं मिल सका और उसे अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद पदोन्नति पद के लाभ प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया है। सुविधा के लिए 1963 के नियमों के नियम 9 और 23 क के तहत निहित प्रावधानों को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> **"9. रिक्तियों का निर्धारण-** (1) (क) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या का निर्धारण करेगा।
>
> (ख) जहां किसी पद को नियम या अनुसूची में निर्धारित एकल विधि से भरा जाना है, इस प्रकार निर्धारित रिक्तियों को उस पद्धति द्वारा भरा जाएगा।
>
> (ग) जहां किसी पद को नियमों या अनुसूची में यथा निर्धारित एक से अधिक पद्धतियों से भरा जाना है, वहां उपर्युक्त खंड (क) के अधीन निर्धारित रिक्तियों का प्रत्येक ऐसी पद्धति में विभाजन पहले से भरे गए पदों की कुल संख्या के लिए निर्धारित अनुपात को बनाए रखते हुए किया जाएगा। यदि रिक्तियों का कोई अंश शेष रह जाता है, तो ऊपर निर्धारित तरीके से रिक्तियों के विभाजन के बाद, उसे पदोन्नति कोटा को वरीयता

देते हुए एक निरंतर चक्रीय क्रम में निर्धारित विभिन्न विधियों के कोटे में विभाजित किया जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पिछले वर्षों की रिक्तियों का वर्ष-वार भी निर्धारण करेगा, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, यदि ऐसी रिक्तियों का निर्धारण नहीं किया गया था और उस वर्ष में पहले नहीं भरा गया था जिसमें उन्हें भरा जाना अपेक्षित था।

23.क. पदोन्नति के लिए मानदंड, पात्रता और प्रक्रिया:- (1) जैसे ही नियुक्ति प्राधिकारी इन नियमों की रिक्तियों के निर्धारण के संबंध में नियम के तहत रिक्तियों की संख्या निर्धारित करता है और यह निर्णय लेता है कि पदोन्नति द्वारा एक निश्चित संख्या में पद भरे जाने की आवश्यकता है, वह उप-नियम (6) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उन वरिष्ठतम व्यक्तियों की सही और पूरी सूची तैयार करेगा जो पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर या संबंधित पदों के वर्ग को योग्यता के आधार पर इन नियमों के तहत पात्र और योग्य हैं।

9. दोनों नियमों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि नियुक्ति प्राधिकारी 1 अप्रैल को "एक वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या" निर्धारित करेगा। रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि संयुक्त निदेशक के पदोन्नति पद पर विभिन्न रिक्तियां अलग-अलग तिथियों अर्थात 01.04.2017, 01.05.2017, 01.06.2017, 01.07.2017 और 01.08.2017 को खाली हो गईं और तदनुसार, 1963 के नियमों के तहत निहित जनादेश का पालन करते हुए, प्रत्येक व्यक्ति के मामले पर विचार किया गया और तदनुसार, पदोन्नति आदेश पारित किया गया। इस मामले में, संयुक्त निदेशक का पदोन्नति पद 01.07.2017 को अपीलार्थी के लिए रिक्त हो गया और तदनुसार, उन्हें दिनांक 25.04.2017 के आदेश के तहत 01.07.2017 से उक्त पद पर पदोन्नत किया गया।

10. यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि पदोन्नति हमेशा पदोन्नति पद के सृजन की तारीख से अर्थात पद खाली होने के बाद प्रभावी होती है। इस मामले में भी संयुक्त निदेशक का पदोन्नति पद 01.07.2017 को रिक्त हो गया और तदनुसार अपीलार्थी को उक्त पद पर

पदोन्नत किया गया।

11. इस अदालत को अपीलार्थी के तर्क में कोई बल नहीं मिला कि पदोन्नति पद 1 अप्रैल को निर्धारित नहीं किया गया था, और इसके कारण अपीलार्थी पदोन्नति पाने में विफल रहा। इस न्यायालय ने पाया कि संयुक्त निदेशक का पदोन्नति पद विभिन्न तिथियों अर्थात् 01.04.2017, 01.05.2017, 01.06.2017, 01.07.2017 और 01.08.2017 को खाली हो गया था और तदनुसार, डीपीसी की बैठक अप्रैल, 2017 में सूचित की गई थी और तदनुसार, पदोन्नति आदेश 25.04.2017 को पारित किया गया था। चूंकि 01.07.2017 को अपीलार्थी के लिए संयुक्त निदेशक का पदोन्नति पद रिक्त हो गया था, इसलिए, उन्हें 01.07.2017 से पदोन्नति दी गई थी।

12. किसी भी अधिकारी को पदोन्नति पद का निहित अधिकार नहीं है, जो कानून के अनुसार विचार करने तक ही सीमित है। इस संबंध में कानून माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अजय कुमार शुक्ला और अन्य बनाम अरविंद राय और अन्य 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1195** के मामले में पैरा 37 और 38 में निर्णित में निम्नानुसार रिपोर्ट किया गया है:

> "37. इस न्यायालय ने बार-बार पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार को मौलिक अधिकार मानने पर जोर दिया है, जैसा कि **के. रामास्वामी, जे. ने निदेशक, लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम प्रवत किरण मोहंती और अन्य (1991) 2 एससीसी 295** के पैराग्राफ 4 में निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:
>
> *"4.....पदोन्नति का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन एक कर्मचारी को केवल प्रासंगिक नियमों के अनुसार, पदोन्नति के लिए विचार करने का अधिकार है। इस परिप्रेक्ष्य से हमारे विचार में उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि निगम द्वारा तैयार की गई ग्रेडेशन सूची संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ अनुच्छेद 16 के तहत निहित समानता के प्रतिवादी/रिट अपीलार्थी के अधिकार का उल्लंघन है, और प्रतिवादी/रिट अपीलार्थी को अन्यायपूर्ण तरीके से इससे वंचित किया गया था, स्पष्ट रूप से अनुचित है।"*

38. **अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य संविधान पीठ: (1997) 7 एससीसी 209,** में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 (1) के मामले में जोर देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति जो पदोन्नति के लिए पात्रता और मानदंड को पूरा करता है, लेकिन फिर भी पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाता है, तो उसके मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन होगा। **जगन्नाथ राव, न्यायमूर्ति** अपनी और **आनंद, सीजेआई, वैंकटस्वामी, पटनायक, कुर्दुकर, जेजे** की ओर से बोलते हुए, पैराग्राफ 21 और 22 और 27 अनुसार पाया जो निम्नानुसार हैं:

"21: अनुच्छेद 14 और 16 (1): क्या पदोन्नति के लिए विचार किया जाना एक मौलिक अधिकार है

22: अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 (1) निकटता से जुड़े हुए हैं। वे व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों से निपटते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है कि "राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा"। अनुच्छेद 16 (1) एक सकारात्मक आदेश जारी करता है कि "राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी"।

इस न्यायालय द्वारा बार-बार यह माना गया है कि अनुच्छेद 16 का खंड (1) अनुच्छेद 14 का एक पहलू है। उक्त खंड अनुच्छेद 14 में व्यापकता को निर्दिष्ट करता है और संवैधानिक अर्थों में "राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार और नियुक्ति के मामलों में अवसर की समानता" की पहचान करता है। "रोजगार" शब्द व्यापक होने के कारण, भर्ती के प्रारंभिक स्तर से ऊपर के पदों पर पदोन्नति के पहलू को लेकर कोई विवाद नहीं है। अनुच्छेद 16 (1) प्रत्येक कर्मचारी को अन्यथा पदोन्नति के लिए पात्र या जो विचार क्षेत्र के भीतर आता है, को पदोन्नति के लिए "विचार" करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यहां समान अवसर का अर्थ है पदोन्नति के लिए "विचार" किए जाने का

अधिकार। यदि कोई व्यक्ति पात्रता और क्षेत्र मानदंडों को पूरा करता है, लेकिन पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाता है, तो पदोन्नति के लिए "विचार" किए जाने के उसके मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन होगा, जो उसका व्यक्तिगत अधिकार है।

इस तरह की पदोन्नति से जुड़े समान अवसर और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति अनुच्छेद 16 (1) के तहत मौलिक अधिकार के पहलू हैं।

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

27. हमारी राय में, अशोक कुमार गुप्ता में व्यक्त उपरोक्त विचार और जगदीश लाल और अन्य मामलों में अनुसरण किया गया, यदि यह निर्धारित करने का इरादा है कि पदोन्नति द्वारा भर्ती के प्रासंगिक नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए "विचार" किए जाने के लिए कर्मचारियों को सही गारंटी (अर्थात चाहे वरिष्ठता या योग्यता के आधार पर) केवल एक वैधानिक अधिकार है और मौलिक अधिकार नहीं है, हम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते। हम पहले ही कह चुके हैं कि पदोन्नति के लिए "विचार" किए जाने के अधिकार के अर्थ में पदोन्नति के मामले में समान अवसर का अधिकार वास्तव में अनुच्छेद 16 (1) के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है और 1950 से अशोक कुमार गुप्ता से पहले किसी अन्य मामले में इस पर कभी संदेह नहीं किया गया है।

13. इसी प्रकार, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **गंगा विशन गुजराती और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 2019 (16) एससीसी 28** में रिपोर्टित मामले में पैरा 45 में निम्नानुसार निर्णय लिया है:

"31. इस न्यायालय की मिसाल की एक सुसंगत पंक्ति इस सिद्धांत का पालन करती है कि पूर्वव्यापी वरिष्ठता किसी कर्मचारी को उस तारीख से नहीं दी जा सकती है जब कर्मचारी को कैडर पर वहन नहीं किया गया था। उसी ग्रेड के सदस्यों के बीच वरिष्ठता को ग्रेड में प्रारंभिक प्रवेश की तारीख से गिना जाना चाहिए। यह सिद्धांत सीधी भर्ती द्वितीय श्रेणी

इंजीनियरिंग अधिकारी संघ बनाम महाराष्ट्र राज्य **(1990)2 एससीसी 715,** मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय से उपजता है: इस न्यायालय द्वारा **बिहार राज्य बनाम अखौरी सचिंद्र नाथ (1991) सुप (1) एससीसी 344 : और उत्तरांचल राज्य बनाम दिनेश कुमार शर्मा: (2007) 1 एससीसी 683** मामले में इस सिद्धांत को दोहराया गया था। **पवन प्रताप सिंह बनाम रेवेन सिंह: (2011) 3 एससीसी 267** में, इस न्यायालय ने इस विषय पर मिसालों पर पुनर्विचार किया और कहा:

"45.....(i) चयन की प्रभावी तिथि को उन सेवा नियमों के संदर्भ में समझना होगा जिनके अंतर्गत नियुक्ति की जाती है। इसका मतलब वह तारीख हो सकती है जिस पर विज्ञापन जारी होने के साथ या चयन सूची तैयार करने का तथ्य, जैसा भी मामला हो चयन की प्रक्रिया शुरू होती है।

(ii) किसी विशेष सेवा में पारस्परिक वरिष्ठता सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए। किसी विशेष सेवा में प्रवेश की तारीख या मूल नियुक्ति की तारीख एक अधिकारी या दूसरे अधिकारी के बीच या अधिकारियों के एक समूह और विभिन्न स्रोतों से भर्ती किए गए दूसरे के बीच वरिष्ठता तय करने के लिए सबसे सुरक्षित मानदंड है। वैधानिक नियमों, कार्यकारी निर्देशों या अन्यथा में कोई भी विचलन संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।

(iii) आमतौर पर, काल्पनिक वरिष्ठता पूर्ववर्ती प्रभाव से नहीं दी जा सकती है और यदि ऐसा किया जाता है, तो यह वस्तुनिष्ठ विचारों और वैध वर्गीकरण पर आधारित होना चाहिए और वैधानिक नियमों का पता लगाया जाना चाहिए।

(iv) वरिष्ठता को रिक्ति की तारीख से नहीं गिना जा सकता है और इसे पूर्वव्यापी रूप से नहीं दिया जा सकता है जब तक कि यह प्रासंगिक सेवा नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वरिष्ठता को पूर्वव्यापी आधार पर नहीं दिया जा सकता है जब

किसी कर्मचारी को कैडर में वहन भी नहीं किया गया है और ऐसा करने से उन कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जिन्हें इस बीच वैध रूप से नियुक्त किया गया है।"

14. रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलार्थी के लिए 01.07.2017 को संयुक्त निदेशक का पद खाली हो गया था और तदनुसार, उसे उसकी वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर उक्त पदोन्नति पद पर पदोन्नति दी गई थी। अप्रैल, 2017 के महीने में अपीलार्थी को कोई पदोन्नति नहीं दी जा सकती है जब अपीलार्थी ने कैडर में वहन नहीं किया है और यदि ऐसा किया जाता है, तो यह उन कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जो अपीलार्थी से वरिष्ठ थे। अपीलार्थी द्वारा संदर्भित निर्णय इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं।

<u>निष्कर्ष</u> -

15. इस प्रकार, कानून की घोषित स्थिति को देखते हुए और ऐसी कोई विशेष परिस्थितियां या नियम मौजूद नहीं हैं जो अपीलार्थी को पूर्वव्यापी तिथि से पदोन्नति के लिए दावा करने का कोई अधिकार प्रदान करते हैं, इस याचिका में कोई गुणागुण नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

16. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

17. स्थगन आवेदन और सभी आवेदन (यदि कोई लंबित हैं) भी खारिज कर दिए जाते हैं।

(अनूप कुमार ढांड), न्यायमूर्ति

MR/pcg/132

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।